न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 236 / 2021 निर्णय दिनांक :–15.07.2022

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. गोपाल पुत्र जग्गा जाति मीणा निवासी बेनपा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. मूलचन्द पुत्र जग्गा जाति मीणा निवासी बेनपा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. रमेश दत्तक पुत्र रामदेव जाति मीणा निवासी बेनपा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. लाली पत्नी रामदेव जाति मीणा निवासी बेनपा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. परमानन्द पुत्र रामस्वरूप उर्फ रामरूप जाति मीणा निवासी बेनपा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. चन्द्रप्रकाश पुत्र रामस्वरूप उर्फ रामरूप जाति मीणा निवासी बेनपा तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. सोहनी देवी पत्नी रामस्वरूप उर्फ रामरूप जाति मीणा निवासी बेनपा तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. घासी पुत्र केसरा जाति मीणा निवासी बेनपा तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार देवली

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–
श्री राजेश जैन
श्री नन्दलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 8 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 279

रकबा 0.38 है0 एवं प्रार्थीगण 1 ता 7 की खातेदारी का कुआं खसरा नम्बर 274 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह वाके ग्राम बेनपा पटवार हलका टोडा का गोठडा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर 263, 270, 272 वाके ग्राम बेनपा सिवायचक दर्ज है तथा खसरा नम्बर 229 राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है। उक्त आराजी भूमि के सह खातेदार रामस्वरूप उर्फ रामरूप की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रार्थीगण 5 ता 7 है तथा प्रार्थीगण 5 ता 7 के अलावा मृतक रामरूप उर्फ रामस्वरूप के अन्य कोई वारिस नही है प्रार्थीगण 5 ता 7 के नाम अभी नामान्तकरण नही खुला है। प्रार्थीगण काफी वर्षो से अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि एवं कुएं पर खसरा नम्बर 229 गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 263, 270 व 272 में से होकर आते जाते रहे है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड में आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है इसलिए प्रार्थीगण को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात एवं कुएं पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 229 गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 263, 270 व 272 में से होकर 20 फीट चोडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली ने जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:- प्रार्थी का अपनी खातेदारी पर पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई ख. नं. 263 में 56 मीटर, ख. नं. 270 में 144 मीटर व ख. नं. 272 में 66 मीटर व तीनो खसरो में चौड़ाई 6 मीटर अर्थात कुल लम्बाई 266 मीटर व

चौड़ाई 6 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.16 है । प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डीएलसी दर 319743/– प्रति है0 कुल क्षैत्रफल 0.16 है0 के लिए एक गुना राशि 51160/– रूपये व दुगुनी 102320/– रूपये बनती है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा ख. नं. 263, 270, 272 में से रास्ता चाहता है चाहे गये रास्ते को लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते के मध्य कोई पेड, दीवार आदि कोई संरचना नहीं है। प्रार्थी को अत्यधिक आवश्यकता होने पेर सिवायचक भूमि से रास्ता देने के लिए सहमत है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः मय राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी, नक्शा ट्रेस की दो प्रति और खसरा गिरदावरी और डीएलसी दर की छायाप्रति संलग्न कर श्रीमान्जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार रास्ता देने की प्रार्थना की।

तहसीलदार बहस में अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार व अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख. नं. 274 व 279 में कृषि कार्य के लिए जाने के ख. नं. 263, 270, व 272 में से रास्ते की प्रार्थना की है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेखित किया हुआ है कि प्रार्थी का अपनी खातेदारी पर पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है और प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। वाछित रास्ते के मध्य कोई पेड़, दीवार जैसी संरचान नहीं है। अप्रार्थी तहसीलदार रास्ता देने हेतु

सहमत है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता अत्यधिक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार लम्बाई ख. नं. 263 में 56 मीटर, ख. नं. 270 में 144 मीटर व ख. नं. 272 में 66 मीटर व तीनो खसरो में चौड़ाई 6 मीटर अर्थात कुल लम्बाई 266 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.16 है0 के लिए वर्तमान डीएलसी दर 319743 प्रति है0 के अनुसार कुल क्षैत्रफल 0.16 है0 के लिए एक गुना राशि 51160/– रूपये व दुगुनी 102320/– रूपये की राशि प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार जमा करवाये जाने पर, रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, मौके पर चिन्हित करे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली